न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/61

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय 4th फ्लोर टाईम स्क्वायर बिल्डिंग सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश कुमार गुर्जर

......प्रार्थी

बनाम

1. जगतभान सिहं पुत्र हिम्मत सिहं
2. हरभजन सिहं पुत्र हिम्मत सिहं
3. स्व0 हिम्मत सिहं पुत्र रंभो सिहं
4. प्रीति कुमारी पत्नि जगतभानं सिहं
5. सत्यवती पत्नि हिम्मत सिहं
6. बविता कुमारी पत्नि हरभजन सिहं

} निवासी नगला माना, धनवारा, जिला भरतपुर

.......अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणी

7. योगेश कुमार पुत्र हरि सिहं, निवासी नगला माना, धनवारा, जिला भरतपुर

.........गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश दिनांक 11.09.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को ऋण खाता सं0 5020005124467 एवं 50200051248688 दिनांक 25.08.2020 को कुल ऋण राशि 58,48,000/- (शब्देन अठावन लाख अडतालीस हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 345 ए, सुभाष नगर, जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 115.77 वर्गगज है। जिसके पूर्व में रोड 30 फिट चौडा, पश्चिम में प्लाट 245, उत्तर में रास्ता 20 फिट चौडा, दक्षिण में प्लाट नं. 357 स्थिति है।

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जो कि स्व0 हिम्मत सिहं जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 345 ए, सुभाष नगर, जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 115.77 वर्गगज है। जिसके पूर्व में रोड 30 फिट चौडा, पश्चिम में प्लाट 245, उत्तर में रास्ता 20 फिट चौडा, दक्षिण में प्लाट नं. 357 स्थिति है। जो कि स्व0 हिम्मत सिहं जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है को बंधक रखी जाकर बैंक के हक में बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी. को ऋण खाता सं0 5020005124467 एवं 50200051248688 दिनांक 25.08.2020 को कुल ऋण राशि 58,48,000/— (शब्देन अठावन लाख अडतालीस हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 24.08.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, बकाया ऋण राशि 75,40,618.17/— (पिचत्तर लाख चालीस हजार छः सौ अठारह रू. सत्तरह पैसे मात्र) एवं दिनांक 18.01.2024 तक की ब्याज एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 05.06.2024 को सभी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये गये हैं। जो दिनांक 07.06.2024 को अप्रार्थी को डिलीवर्ड/प्राप्त हो गया है। प्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में बंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि:—

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 345 ए,

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

सुभाष नगर, जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 115.77 वर्गगज है। जिसके पूर्व में रोड 30 फिट चौडा, पश्चिम में प्लाट 245, उत्तर में रास्ता 20 फिट चौडा, दक्षिण में प्लाट नं. 357 स्थिति है। जो कि स्व0 हिम्मत सिहं जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है, जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था, का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर